



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 27]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 5, 2003/आषाढ़ 14, 1925

No. 27]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 5, 2003/ASADHA 14, 1925

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संच राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2003

सा.का.नि 247.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार मुद्रणालय/शाखा (समूह 'ग' तथा समूह 'घ' अनौद्योगिक पद) भर्ती नियम, 1984, भारत सरकार मुद्रणालय और शाखा, हिन्दी अनुवादक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1987 एवं शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार मुद्रणालय, मुद्रण निदेशालय, आशुलिपिक श्रेणी-II समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 1996 का उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, मुद्रण निदेशालय, भारत सरकार मुद्रणालय, में समूह 'ग' और समूह 'घ' अनौद्योगिक पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, मुद्रण निदेशालय, भारत सरकार मुद्रणालय और शाखा (समूह 'ग' और 'घ' पद) भर्ती नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. आरम्भिक गठन.—इन नियमों के आरम्भ होने पर नियुक्त सभी व्यक्ति इन नियमों द्वारा अधिक्रांत नियमों के अधीन नीचे दी गई सारणी में स्तम्भ-2 में विनिर्दिष्ट पद को नियमित आधार पर धारण किए हुए व्यक्ति इन नियमों के अधीन उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्त समझे जाएंगे और इन नियमों के आरम्भ से पहले उनके द्वारा की गई सेवा प्रोन्नति और अन्य सेवा शर्तों एवं निबन्धनों की पात्रता का विनिश्चय करने के लिए गणना में ली जाएगी।

सारणी

क्रम सं.	विद्यमान पद	इस प्रकार पुनर्पदाभिहित किया जाना है
(1)	(2)	(3)
1.	भिश्ती	माली
2.	वाटरमैन एवं वेस्ट पेपर सार्टर	चपरासी
3.	दरबान एवं गार्ड	चौकीदार
4.	स्टैम्प काउन्टर	फराश
5.	काउन्टर	सफाईवाला

4. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण एवं वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

5. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा एवं अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से सम्बंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट है।

6. स्थानान्तरण की शक्ति.—मुद्रण निदेशक को जहां समाधान हो जाता है वहां उन कारणों को लेखबद्ध करके वह आदेश द्वारा किसी कर्मचारी को लोकहित में या ऐसे कर्मचारी की प्रार्थना पर अनुकंपा के आधार पर मुद्रणालय के अधिशेष कर्मचारी के पुनः परियोजन के लिए उनके नियंत्रणाधीन एक मुद्रणालय से अन्य किसी मुद्रणालय में निम्नलिखित दशा के अध्यधीन स्थानान्तरित कर सकते हैं, अर्थात्:-

- (i) जहां स्थानान्तरण का आदेश लोक हित में किया जाता है, वहां सम्बंधित कर्मचारी के सेवा हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (ii) जहां सम्बंधित कर्मचारी की प्रार्थना पर अनुकम्पा के आधार पर की गई प्रार्थना पर स्थानान्तरण किया जाता है वहां सम्बंधित वैष्टिक को उसके अपने मूल एकक में की गई सेवा का लाभ ज्येष्ठता के प्रयोजन हेतु उस एकक में नहीं मिलेगा जिसमें उसका स्थानान्तरण किया जाता है, और
- (iii) जहां किसी अधिशेष व्यक्ति को पुनः परि नियोजित किया जाता है, वहां उसको, जहां उसका आमेलन किया जाता है ज्येष्ठता के प्रयोजन के लिए उस एकक में नया भर्ती किया गया समझा जाएगा।

7. —चपरासी के रूप में नियुक्त व्यक्ति को होम गार्ड के रूप में प्रशिक्षण लेने का दायित्व-

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, इन नियमों के अधीन चपरासी के रूप में नियुक्त केवल शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त व्यक्ति को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति, को तीन वर्ष की अवधि के लिए होम गार्ड के रूप में प्रशिक्षण लेना होगा।

परन्तु कमांडेंट जनरल, होम गार्ड प्रशिक्षण अवधि के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किये प्रशिक्षण के निष्पादन तथा मानक को ध्यान में रखते हुए कारणों को लेखबद्ध करके प्रशिक्षण अवधि को कम करके दो वर्ष कर सकता है।

8. निरर्हताएं.— वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार सन्तुष्ट होती है कि, ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के अन्य पक्ष के लिए लागू स्वीथ विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

9. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

10. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन	सेवा में जोड़े गये वर्षों का फायदा, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 30 के अधीन अनुद्ध्य है या नहीं	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए शैक्षण एवं अन्य अर्हतायें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1.	प्रधान लिपिक (ज्येष्ठ)।	इक्कीस (21) (2003) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	5000-150-8000 रुपये।	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
<p>सौ धी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं</p>	<p>परिवर्षा की अवधि, यदि कोई है</p> <p>भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता</p>	<p>प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।</p>	<p>प्रोन्नति:- ऐसा प्रधान लिपिक (कनिष्ठ)/प्रधान संगणक जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है, जिसके 2 हो सकने पर ऐसा उच्च श्रेणी लिपिक, जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: (i) केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) भारत सरकार के अन्य मुद्रणालयों/शाखाओं के ऐसे प्रधान लिपिक (कनिष्ठ)/प्रधान संगणक जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है।</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति में (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. भारत सरकार मुद्रणालय का महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष</li> <li>2. उपप्रबन्धक (तकनीकी) — सदस्य</li> <li>3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन)/कार्यालय का भारसाधक — सदस्य</li> </ol>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।</p>
<p>लागू नहीं होता।</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>	<p>प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।</p>	<p>प्रोन्नति:- ऐसा प्रधान लिपिक (कनिष्ठ)/प्रधान संगणक जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है, जिसके 2 हो सकने पर ऐसा उच्च श्रेणी लिपिक, जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: (i) केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) भारत सरकार के अन्य मुद्रणालयों/शाखाओं के ऐसे प्रधान लिपिक (कनिष्ठ)/प्रधान संगणक जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है।</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति में (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. भारत सरकार मुद्रणालय का महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष</li> <li>2. उपप्रबन्धक (तकनीकी) — सदस्य</li> <li>3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन)/कार्यालय का भारसाधक — सदस्य</li> </ol>	<p>लागू नहीं होता।</p>
<p>सौ धी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं</p>	<p>परिवर्षा की अवधि, यदि कोई है</p> <p>भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता</p>	<p>प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।</p>	<p>प्रोन्नति:- ऐसा प्रधान लिपिक (कनिष्ठ)/प्रधान संगणक जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है, जिसके 2 हो सकने पर ऐसा उच्च श्रेणी लिपिक, जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: (i) केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) भारत सरकार के अन्य मुद्रणालयों/शाखाओं के ऐसे प्रधान लिपिक (कनिष्ठ)/प्रधान संगणक जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है।</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति में (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. भारत सरकार मुद्रणालय का महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष</li> <li>2. उपप्रबन्धक (तकनीकी) — सदस्य</li> <li>3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन)/कार्यालय का भारसाधक — सदस्य</li> </ol>	<p>लागू नहीं होता।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2. प्रधान लिपिक (कनिष्ठ)।	इकतीस (31) (2003) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसूचित।	4500-125-7000 रुपये।	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	<p>प्रोन्नति:-  ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण:-  जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति में (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. भारत सरकार मुद्रणालय का महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष</li> <li>2. उपप्रबन्धक (तकनीकी) — सदस्य</li> <li>3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन)/कार्यालय का भारसाधक — सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता।
			<p>प्रतिनियुक्ति:-  केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी  (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हो या  (ii) 4000-6000 रुपये के वेतनमान में ऐसा उच्च श्रेणी लिपिक जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो।  (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।)  (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारण तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।  प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आबंटन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)</p>		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3. प्रधान संगणक।	दस (10) (2003) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजमन्त्रित, अनुसूचित।	4500-12.5-7000 रुपये।	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

लागू नहीं होता।

लागू नहीं होता।

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति:-

ऐसा उच्च श्रेणी लिपिक/संगणक जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण:-

जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति:-

केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी

(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हो; या

(ii) उच्च श्रेणी लिपिक जिसने 4000-6000 रुपये के वेतनमान में उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो।

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।)

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारण तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

विभागीय प्रोन्नति समिति में (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

1. भारत सरकार मुद्रणालय का महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष
2. उपप्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक (तकनीकी) — सदस्य
3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन)/ कार्यालय का भारसाधक — सदस्य

लागू नहीं होता।



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4. उच्च श्रेणी लिपिक।	दो सौ बयासी (282) (2003) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराज्यपत्रित, अनुसूचितवर्ग।	4000-100-6000 रुपये।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	साठे सत्तासी (87½) प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा तथा साठे बारह (12½) प्रतिशत मुद्रण निदेशालय शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय के तारीख 7-11-2002 के सा. का.नि. 470 तारीख 7 नवंबर 2002 उच्चश्रेणी लिपिक श्रेणी सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा नियम 2002 के उपबन्धों के अनुसार प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा।	<p>प्रोन्नति:-</p> <p>(i) पचहत्तर प्रतिशत, 3050-75-3950-80-4590 रुपये के वेतनमान में ऐसे अवर श्रेणी लिपिकों की प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p>(ii) साठे बारह प्रतिशत, 3050-75-3950-4590 रुपये के वेतनमान में ऐसे रिपोर्ट लेखक की प्रोन्नति द्वारा जो मैट्रिक या समतुल्य है।</p> <p>परन्तु यह कि ऐसा कोई रिपोर्ट लेखक, जो 3050-75-3950-4590 रुपये के वेतनमान में प्रोन्नति के लिए प्रतीक्षित उच्चतम अवर श्रेणी लिपिकों में कनिष्ठ है, ऐसे अवर श्रेणी लिपिक से पहले उसे प्रोन्नत नहीं किया जाएगा।</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति में (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>1. भारत सरकार मुद्रणालय का महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष</p> <p>2. उपप्रबन्धक (तकनीकी) — सदस्य</p> <p>3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन)/कार्यालय का भारसाधक — सदस्य</p>	लागू नहीं होता।
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	साठे बारह प्रतिशत, जो मुद्रण निदेशालय, शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय सा.का.नि. 470 तारीख 7 नवंबर 2002 उच्च श्रेणी लिपिक सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा नियम-2002 के उपबन्धों के अनुसार ऐसे अवर श्रेणी लिपिकों/रिपोर्ट लेखकों द्वारा जिन्होंने अपनी-अपनी श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है और मैट्रिक है, की सीमित प्रतियोगिता लिखित परीक्षा द्वारा।	<p>साठे बारह प्रतिशत, जो मुद्रण निदेशालय, शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय सा.का.नि. 470 तारीख 7 नवंबर 2002 उच्च श्रेणी लिपिक सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा नियम-2002 के उपबन्धों के अनुसार ऐसे अवर श्रेणी लिपिकों/रिपोर्ट लेखकों द्वारा जिन्होंने अपनी-अपनी श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है और मैट्रिक है, की सीमित प्रतियोगिता लिखित परीक्षा द्वारा।</p>		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5. आशुलिपिक लिपिक श्रेणी 'ग'।	दे (2) (2003) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसूचिवीय।	4500-175-7000 रुपये।	अवयव।	लागू नहीं होता।	सत्ताईस वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थी की दशा में स्थित) करके चालीस वर्ष तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी की दशा में 45 वर्ष तक की जा सकती है।)	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य। (ii) आशुलिपि (अंग्रेजी/हिन्दी) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति रखता हो।
						टिप्पणी: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	
						टिप्पणी-2 रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों के नाम भेजने के लिए कहा गया है।	

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता।	सौधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और जिसके न हो सकने पर सौधी भर्ती द्वारा।	<p>प्रोन्नति:- ऐसा आधुनिक श्रेणी 'घ' जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण:- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, आगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति:- केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हैं या (ii) जिन्होंने उस श्रेणी में 4000-100-6000 रुपये के वेतनमान में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो;</p> <p>(ख) स्लैब 8 के अधीन सौधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं रखता हो।</p> <p>(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सौधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।)</p> <p>(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारण तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति में (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. भारत सरकार मुद्रणालय का महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष</li> <li>2. उपप्रबन्धक (तकनीकी) — सदस्य</li> <li>3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन)/कार्यालय का भारसाधक — सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6. आशुलिपिक लिपिक श्रेणी 'ब'।	(19) उन्नीस (2003) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसूचितों।	4000-100-6000 रुपये।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	सत्तार्विस वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थी की दशा में स्थितिल करके चालीस वर्ष तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी की दशा में 45 वर्ष तक की जा सकती है।)	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य। (ii) आशुलिपि (अंग्रेजी/हिन्दी) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति रखता हो।
<p>टिप्पणी: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए बहित की गई है।</p>							
<p>टिप्पणी-2 रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों के नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>							

(14)

(13)

(12)

(11)

(10)

(9)

लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति:-

ऐसा अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की है, और जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तम्भ 8 यथा विहित अर्हताएं हैं। चयन आशुलिपि की परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।

टिप्पण:-

जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

विभागीय प्रोन्नति समिति में (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

1. भारत सरकार, मुद्रणालय का महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष
2. उपप्रबन्धक (तकनीकी) — सदस्य
3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन)/ कार्यालय का भारसाधक — सदस्य

लागू नहीं होता।

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

7. अवर श्रेणी लिपिक।
- चार सौ इकसठ (461) (2003) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।
- साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसूचिणीय।
- 3050-75-3950-80-4590 रुपये।
- लागू नहीं होता।
- लागू नहीं होता।
- सत्ताईस वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थी की दशा में स्थित करके चालीस वर्ष तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी की दशा में 45 वर्ष तक की जा सकती है।)

(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य।

(ii) अंग्रेजी टंकण में 30 शब्द प्रतिमिनट और हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रतिमिनट की गति रखता हो।

टिप्पणी: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

टिप्पणी-2 रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों के नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	<p>(i) पचासी (85) प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p>(ii) दस प्रतिशत मुद्रण निदेशालय, शहरी विकास एवं गरीबी उपशामन मंत्रालय के तारीख 7 नवंबर, 2002 के सा.का. नि. 471 के अवर श्रेणी लिपिक सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा नियम 2002 के उपबंधों के अनुसार पांच वर्ष की नियमित सेवा करने वाले तथा स्तम्भ आठ में विहित अर्हताएं रखने वाले समूह 'घ' कर्मचारियों में से विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से।</p> <p>(iii) स्तम्भ आठ के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं रखने वाले समूह 'घ' कर्मचारियों में से पांच प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।</p>	लागू नहीं होता।	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति में (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. भारत सरकार मुद्रणालय का महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष</li> <li>2. उपप्रबन्धक (तकनीकी) — सदस्य</li> <li>3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन)/कार्यालय का भारसाधक — सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता।



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

8. हिन्दी अनुवादक। दस (10) (2003) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।
- साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अमनुसचिवीय।
- 5000-150-8000 रुपये।
- लागू नहीं होता।
- लागू नहीं होता।
- लागू नहीं होता।
- सत्तार्विस वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थी की दशा में शिथिल करके चालीस वर्ष तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)
- टिप्पणी: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।
- टिप्पणी-2 रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों के नाम भेजने के लिए कहा गया है।
- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी/अंग्रेजी में मास्टर उपाधि और साथ ही उपाधि स्तर पर अंग्रेजी/हिन्दी अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहे हो।
- या
- (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी/अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर उपाधि और साथ ही उपाधि स्तर पर हिन्दी/अंग्रेजी अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में रहे हों या दोनों विषयों में से कोई एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरा अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो।
- या
- (iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी/अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम से मास्टर की उपाधि और उपाधि स्तर पर अंग्रेजी/हिन्दी अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में हो।
- या
- (iv) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनिवार्य/वैकल्पिक विषयों के रूप में हिन्दी और अंग्रेजी के साथ स्नातक उपाधि जिसमें से एक परीक्षा के माध्यम के रूप में दूसरा विषय अनिवार्य विषय के रूप में रहा हो। साथ ही हिन्दी से अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कार्य का मान्यताप्राप्त डिप्लोमा/प्रमाणपत्र अथवा केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के कार्यालयों में, जिनके अन्तर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी हैं, हिन्दी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति/आमेलन: केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से— (क) (i) जो सदृश पद धारण किए हुए हैं या (ii) जो 4500-125-7000 रुपये के केंद्रमान वाले या समतुल्य पद तीन वर्ष नियमित सेवा सहित धारण किए हुए हैं; या (iii) जो 4000-100-6000 रुपये के वेतनमान वाले या समतुल्य पद सांच वर्ष नियमित सेवा सहित धारण किए हुए हैं; और (ख) जिसके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तम्भ आठ में अधिकारित शैक्षिक अर्हताएँ हैं। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काब्र बाह्य पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारण तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	विभागीय प्रोन्नति समिति में (प्रोन्नति के संकथ में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:— 1. भारत सरकार, मुद्रणालय का महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष 2. उपप्रबन्धक (तकनीकी) — सदस्य 3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) // कार्यालय का भारसाधक — सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9. साधारण भंडारी	बारह (12) (2003) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसूचिकीय।	5000-150-8000 रुपये।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा।	<p>प्रतिनियुक्ति:-</p> <p>(क) केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से-</p> <p>(i) जो नियमित आधार पर सदृश पर धारण किए हुए हैं या जिन्होंने 4500-125-7000 रुपये के वेतनमान वाले पद पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है</p> <p>(ii) जिन्होंने 4000-100-6000 रुपये के वेतनमान में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है।</p> <p>(ख) जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य है।</p> <p>वांछनीय: किसी पात्र अभ्यर्थी द्वारा आवेदन न करने की दशा में योग्य मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा भण्डार की देखरेख करने का एक वर्ष का अनुभव शिथिल किया जा सकता है।</p> <p>(प्रतिनियुक्ति को अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारण तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10. भेषजज्ञ।	सत्रह (17) (2003) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराज्यप्रति, अनुसूचिवीय।	4500-125-7000 रुपये।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	सत्ताईस वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थी की दशा में शिथिल करके चालीस वर्ष तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्व विद्यालय से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य और (ii) भेषजी अधिनियम 1948, की धारा-31 के खंड(क) के अधीन भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकृत हो।
						टिप्पणी: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अप्पडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	
							टिप्पणी-2 रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों के नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता।	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति में (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. भारत सरकार मुद्रणालय का महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष</li> <li>2. उपप्रबन्धक (तकनीकी) — सदस्य</li> <li>3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन)/कार्यालय का भारसाधक — सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11.	नर्स। दस (10) (2003) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसूचिवीय।	5000-150-8000 रुपये।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	सत्ताईस वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थी की दशा में शिथिल करके चालीस वर्ष तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्व विद्यालय से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य। (ii) जिस के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से नर्सिंग या मिडवाइफरी में 'ए' श्रेणी पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र है जो किसी उच्च नर्सिंग रजिस्ट्रीकरण परिषद से रजिस्ट्रीकृत हो।
<p>टिप्पणी: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p>							
<p>टिप्पणी-2 रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों के नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>							

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता।	विभागीय प्रोन्नति समिति में (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. भारत सरकार मुद्रणालय का महाप्रबन्धक/प्रबन्धक --- अध्यक्ष 2. उपप्रबन्धक(तकनीकी) --- सदस्य 3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन)/ कार्यालय का भारसाधक --- सदस्य	लागू नहीं होता।



(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता।	विभागीय प्रोन्नति समिति में (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) विसर्ग निम्नलिखित होंगे:- 1. भारत सरकार मुद्रणालय का महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष 2. उपप्रबन्धक(तकनीकी) — सदस्य 3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन)/कार्यालय का भारसाधक — सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12. माली।	पॉच (5) (2003) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ब' अराजपत्रित, अनुसूचित।	2550-55-2660- 60-3200 रुपये।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	सत्ताईस वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थी की दशा में शिथिल करके चालीस वर्ष तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	(i) किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से प्राथमिक स्तर उत्तीर्ण।
						टिप्पणी: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पगरी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	
						टिप्पणी-2 रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों के नाम भेजने के लिए कहा गया है।	

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता।	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति में (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. भारत सरकार मुद्रणालय का महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष</li> <li>2. उपप्रबन्धक (तकनीकी) — सदस्य</li> <li>3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन)/कार्यालय का भारसाधक — सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13.	दफ्तरी।	सैनालीस (47) (2003) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ब' अराजपत्रित, अनुसूचित्वीय।	2610-60-3150- 65-3540 रुपये।	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(14)

(13)

(12)

(11)

(10)

(9)

लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा।	<p>प्रश्न:- ऐसा कपलान्ने जिनने उस श्रेणी में दो वर्ग की नियमित सेवा की है।</p>	लागू नहीं होता।
<p>टिप्पण:- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	<p>1. भारत सरकार मुद्रणालय का महाप्रबन्धक/प्रबन्धक --- अध्यक्ष</p> <p>2. उपप्रबन्धक (तकनीकी) --- सदस्य</p> <p>3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन)/ कार्यालय का भारसाधक --- सदस्य</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति में (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p>		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14. चपरासी।	अद्वार (78) (2003) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ब' अराजपत्रित, अनुसूचितवीथी।	2550-55-2660- 60-3220 रुपये।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	सत्तार्व वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थी की दशा में शिथिल कर्क चालीस वर्ष तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से मिडिल स्कूल उत्तीर्ण।
						टिप्पणी: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	
							टिप्पणी-2 रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों के नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता।	सौधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	पचीस प्रतिशत आवेदन द्वारा पचहत्तर प्रतिशत सौधी भर्ती द्वारा।	आवेदन:- 2550-55-2660-60-3200 के वेतनमान में ऐसा फराश या सफाईवाला या चौकीदार जिसने फराश या सफाईवाला या चौकीदार के रूप में दो वर्ष सम्मिलित नियमित सेवा की हो और जिसके पास हिन्दी या अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषा पढ़ने की प्राथमिक साक्षरता हो।	विभागीय प्रोन्ति समिति में (प्रोन्ति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. भारत सरकार मुद्रणालय का महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष 2. उपप्रबन्धक (तकनीकी) — सदस्य 3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन)/कार्यालय का भारसाधक — सदस्य	लागू नहीं होता।





(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्ति द्वारा।	<p>प्रोन्ति:- ऐसा सफाईवाला जिसने उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्ति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्ति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	<p>विभागीय प्रोन्ति समिति में (प्रोन्ति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. भारत सरकार मुद्रणालय का महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष</li> <li>2. उपप्रबन्धक (तकनीकी) — सदस्य</li> <li>3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन)/कार्यालय का भारसाथक — सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16. अदली (नासिंग)।	(5) षौच (2003) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ' अराजपत्रित, अवनुसूचिनीय।	2550-55-2660-60-3220 रुपये।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	सत्राईस वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थी की दशा में शिथिल करके चालीस वर्ष तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	वाञ्छनीय:- (i) प्रारम्भिक कक्षा उतीर्ण। (ii) मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव।
						टिप्पणी: आयु सीमा अंशधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	टिप्पणी:- अनुभव संबंधी अर्हता कन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिलनीय है।
							टिप्पणी-2 रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों के नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	सभी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता।	विभागीय प्रोन्नति समिति में (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. भारत सरकार मुद्रणालय का महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष 2. उपप्रबन्धक (तकनीकी) — सदस्य 3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन)/कार्यालय का भारसाधक — सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17. चौकीदार।	एक सौ सैंतीस (137) (2003) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा: स्यूट 'घ' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	2550-55-2660- 60-3220 रुपये।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	सर्ताईस वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थी की दशा में शिथिल करके चालीस वर्ष तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	वाञ्छनीय:- मान्यता प्राप्त विद्यालय से प्राथमिक स्कूल उतीर्ण हो।
						टिप्पणी: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	
							टिप्पणी-2 रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों के नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	सीधी भती द्वारा।	लागू नहीं होता।	विभागीय प्रोन्नति समिति में (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. भारत सरकार मुद्रणालय का महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष 2. उपप्रबन्धक (तकनीकी) — सदस्य 3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) // कार्यालय का भारसाधक — सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
18. फरशा।	इकतीस (31) (2003) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ' अराजपत्रित, अंजुसचिवीय।	2550-55-2660- 60-3220 रुपये।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	सर्वाइस वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अथवा की दशा में शिथिल करके चालीस वर्ष तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	वाञ्छनीय:- मान्यता प्राप्त विद्यालय से प्राथमिक स्कूल उत्तीर्ण।
						टिप्पणी: आयु सीमा अवधारित कले के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	
							टिप्पणी-2 रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों के नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता।	विभागीय प्रोन्नति समिति में (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. भारत सरकार मुद्रणालय का महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष 2. उपप्रबन्धक (तकनीकी) — सदस्य 3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन)/कार्यालय का भारसाधक — सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
19. सफाईवाला।	एक सौ चौतीस (134) (2003) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ' अराज्यपत्रित, अनुसूचितवीथ।	2550-55-2660- 60-3220 रुपये।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	सत्राईस वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थी की दशा में शिथिल करके चालीस वर्ष तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	वाङ्मनीय किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से प्राथमिक स्कूल उत्तीर्ण हो।
						टिप्पणी: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पॉपू उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	
							टिप्पणी-2 रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों के नाम भेजने के लिए कहा गया है।



(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता।	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति में (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. भारत सरकार मुद्रणालय का महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष</li> <li>2. उपप्रबन्धक (तकनीकी) — सदस्य</li> <li>3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन)/कार्यालय का भारसाधक — सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
20. वाई बाय।	तीन (3) (2003) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ' अराजपत्रित, अनुसूचिवीय।	2550-55-2660- 60-3220 रुपये।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	सत्ताईस वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थी की दशा में शिथिल करके चालीस वर्ष तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	वाछनीय:- मान्यता प्राप्त विद्यालय से प्राथमिक स्कूल उत्तीर्ण हो।
						टिप्पणी: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	
						टिप्पणी-2 रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों के नाम भेजने के लिए कहा गया है।	

(14)

विभागीय प्रोन्नति समिति में (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

1. भारत सरकार मुद्रणालय का महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष
2. उपप्रबन्धक (तकनीकी) — सदस्य
3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन)/कार्यालय का भारसाधक — सदस्य

(13)

लागू नहीं होता।

(12)

सीधी भर्ती द्वारा।

(10)

दो वर्ष।

(9)

लागू नहीं होता।



(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	आमेलन द्वारा विसर्क न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	आमेलन:- केन्द्रीय सरकार के समूह 'घ' के ऐसे कर्मचारी जो सदृश पद धारण किए हुए हों।	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति में (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. भारत सरकार मुद्रणालय का महाप्रबन्धक/प्रबन्धक — अध्यक्ष</li> <li>2. उपप्रबन्धक (तकनीकी) — सदस्य</li> <li>3. सहायक प्रबन्धक (प्रशासन)/कार्यालय का भारसाधक — सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता।
<p>[फा. सं. 22/3/98-ए1] एच. ए. यादव, निदेशक (मुद्रण)</p>					

**MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th July, 2003

**G.S.R. 247.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 308 of the Constitution and in supersession of the Government of India Presses and Branches (Groups 'C' and 'D', Non-Industrial Posts) Recruitment Rules, 1984, the Government of India Presses and Branches, Hindi Translator (Group 'C' post) Recruitment Rules, 1987, and the Ministry of Urban Affairs and Employment, Directorate of Printing, the Government of India Presses Stenographer Grade-II Group 'C' posts Recruitment Rules, 1986, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' and Group 'D' Non-Industrial posts in the Government of India Presses and Branches under the Directorate of Printing, Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, Directorate of Printing, Government of India Presses and Branches (Group 'C' and Group 'D' Posts) Recruitment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Initial Constitution.**—All the persons appointed at the commencement of these rules holding the posts specified in column (2) in the Table below on regular basis under the rules superseded by these rules shall be deemed to have been appointed to the posts specified in column (3) of the said Table under these rules and the services rendered by them before the commencement of these rules shall be taken into account for deciding the eligibility for promotion and other term and conditions of service.

TABLE		
Sl. No. (1)	Existing Post (2)	To be redesignated as (3)
1.	Bhisti	Mali
2.	Waterman and Waste Paper Sorter	Peon
3.	Darwan and Guard	Chowkidar
4.	Stamp Counter	Farash
5.	Counter	Safaiwala

4. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns, (2) to (4) of the said Schedule.

5. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

6. **Power to Transfer.**—The Director of Printing may, for reasons to be recorded in writing, by order, transfer an employee from one Press to any other Press under his control in the public interest or on the request of such employee on compassionate grounds or for redeployment of surplus staff of the Press, subject to the following conditions namely:—

- (i) where the transfer is ordered in the public interest, the service interests of the employee concerned shall not be adversely affected,
- (ii) where the transfer is made on the request of the employee concerned on compassionate grounds, the individual concerned shall not get the benefit of the service rendered by him in his own parent unit for the purpose of seniority in the unit in which he is transferred; and
- (iii) where a surplus person is re-deployed, he shall be treated as fresh recruit for the purposes of seniority in the unit in which he is absorbed.

7. **Liability of persons appointed as peons to undergo training as Home Guards.**—Notwithstanding anything contained in these rules, every person appointed as a Peon under these rules, except those who are physically handicapped, shall undergo training as a Home Guard for a period of three years:

Provided that the Commandant General, Home Guards, may, having regard to the performance and standard of training achieved by any person during the period of training, for reasons to be recorded in writing, reduce such period to two years.

8. **Disqualification.**—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

9. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

10. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection or Non-selection	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruit	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Head Clerk (Senior).	Twenty one (21)* (2003)	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial.	Rs. 5000-150-8000.	Selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
	*Subject to variation dependent on work load.						

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion, deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
Not applicable.	Not applicable	Promotion, failing which by deputation.	<p><b>Promotion:</b> Head Clerk (Junior)/Head Computer with three years regular service in the grade failing which Upper Division clerk with eight years regular service in the grade.</p> <p><b>Deputation:</b> (i) Officers of the Central Government holding analogous post on regular basis; or (ii) Head clerk (Junior)/Head Computer of other Government of India Presses/Branches with three years regular service in the grade.</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. General Manager/Manager, Government of India Press —Chairman.</li> <li>2. Deputy Manager (Technical) —Member.</li> <li>3. Assistant Manager (Administration)/ Officer-in-Charge —Member.</li> </ol>	Not applicable.
<p>(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of application).</p>					



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2. Head Clerk (Junior).	Thirty one (31)* 2003  *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Ministerial.	Rs. 4500-125- 7000.	Selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which by deputation.	<p><u>Promotion:</u> Upper Division Clerk with five years regular service in the grade.</p> <p><u>Note:</u> Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, if prescribed.</p> <p><u>Deputation:</u> Officer of the Central Government: (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) Upper Division Clerk in the pay scale of Rs. 4000-100-6000 with five years regular service in the grade.</p> <p>The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.</p> <p>Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. General Manager/Manager, Government of India Press —Chairman.</li> <li>2. Deputy Manager (Technical) —Member.</li> <li>3. Assistant Manager (Administration)/ Officer-in-Charge —Member.</li> </ol>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3. Head	Ten (10)*	General Central	Rs. 4500-125-	Selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
Computer.	(2003)	Service, Group	7000.				
	*Subject to variation dependent on work load.	'C', Non-					
		Gazetted,					
		Ministerial.					

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
-----	------	------	------	------	------

of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of application).

Not applicable. Promotion, failing which by deputation.

**Promotion:**

Upper Division Clerk/Computer with five years regular service in the grade.

Note: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than one year and have successfully completed their probation period, if prescribed.

**Deputation:**

Officers of the Central Government: (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) Upper Division Clerk in the pay scale of Rs. 4000-100-6000 with five years regular service in the grade.

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.

Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Departmental Promotion Committee (for Not applicable, considering promotion) consisting of:—

1. General Manager/Manager, —Chairman.
2. Deputy Manager/Assistant Manager (Technical) —Member.
3. Assistant Manager (Administration)/ Officer-in-Charge —Member.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4. Upper Division Clerk.	Two hundred eighty two(282)* (2003) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Rs. 4000-100-6000.	Not-applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Not applicable.	Eighty seven and half per cent by promotions and Twelve and half per cent by competitive examination in accordance with the provisions of the GSR 470 dated the 7th November, 2002. Directorate of Printing, Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation's Upper Division Clerk Grade Limited Departmental Competitive Examination Rules 2002.	(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall not exceed fifty six years as on the closing date of receipt of application).	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : 1. General Manager/Manager, Government of India Press —Chairman. 2. Deputy Manager (Technical) —Member. 3. Assistant Manager (Administration)/ Officer-in-Charge —Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5. Stenographer Grade 'C'.	Two (2)* (2003)	General Central Service, Group 'C', (Non-Gazetted, Ministerial)	Rs. 4500-125-7000.	Non-selection.	Not applicable.	<p>Twenty seven years. (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in case of general candidates and forty five years in the case of candidates belonging to the Schedule Castes and the Scheduled Tribes) in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time in this regard.</p> <p><b>Note 1.</b>— The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangji, Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh. The Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshdweep).</p>	<p>(i) Matriculation or equivalent from a recognised Board or University;</p> <p>(ii) possessing a speed of 100 words per minute in stenography (English/Hindi).</p>
						<p><b>Note 2.</b>— In case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to nominate candidates.</p>	

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Two years for direct recruits.	By promotion failing and failing both by direct recruitment.	<p><b>Promotion:</b> Stenographer Grade 'D' with five years regular service in the grade.</p> <p><b>Note:</b> Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than one year and have successfully completed their probation period, if prescribed.</p> <p><b>Deputation:</b> Officers of the Central Government: (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years regular service in post in the pay scale of Rs. 4000-100-6000; (b) possessing the qualifications and prescribed for direct recruits under column 8.</p> <p>The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.</p> <p>Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall not exceed fifty six years as on the closing date of receipt of application).</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. General Manager/Manager, Government of India Press —Chairman.</li> <li>2. Deputy Manager (Technical) —Member.</li> <li>3. Assistant Manager (Administration)/ Officer-in-Charge —Member.</li> </ol>	Not applicable.



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.	Stenographer Grade 'D'.	Nineteen (19)* (2003) *Subject to variation de- pendent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Ministerial.	Rs. 4000-100- 6000.	Not applicable.	Not applicable.	(i) Matriculation or equivalent from a recognised Board or University. (ii) possessing a speed of eighty words per minutes in stenography (English/Hindi).
Twenty seven years. (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in case of general candidates and forty-five years in the case of candidates belonging to the Schedule Castes and the Scheduled Tribes) in accordance with the instructions or orders by the Central Government from time to time.							
<b>Note 1.</b> —The crucial date for de- termining the age limit shall be the closing date for receipt of applica- tions from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi, Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh. The Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshdweep).							
<b>Note 2.</b> — In case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to nominate candidates.							

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Yes.	Two years for direct recruits.	By promotion failing which by direct recruitment.	<p><b>Promotion :</b> Lower Division Clerks with two years regular service in the grade and possessing the qualifications as prescribed for direct recruits in column 8.</p> <p>Selection shall be made on the basis of a test in stenography.</p> <p><b>Note :</b> Where Juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than one year and have successfully completed their probation period, if prescribed.</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. General Manager/Manager, Government of India Press —Chairman.</li> <li>2. Deputy Manager (Technical) —Member.</li> <li>3. Assistant Manager (Administration)/ Officer-in-Charge —Member</li> </ol>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7. Lower Division Clerk.	Four hundred sixty one (461)* (2003) *subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Rs. 3050-75-3950-80-4590.	Not applicable.	Not applicable.	Twenty seven years. (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in case of general candidates and forty five years in the case of candidates belonging to the Schedule Castes and the Scheduled Tribes) in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.	(i) Matriculation or equivalent from a recognised Board or University. (ii) possessing typing speed of thirty words per minutes in English or twenty five words per minutes in Hindi.

**Note :** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Two years.	<p>(i) Eighty five per cent by direct recruitment.</p> <p>(ii) Ten per cent through Departmental Competitive Examination in accordance with the provisions of the GSR 471 dated the 7th November, 2002 the Directorate of Printing in the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation's Lower Division Clerks Limited Departmental Competitive Examination Rules 2002 from Group 'D' employees with five years regular service and possessing qualifications prescribed column 8.</p> <p>(iii) Five percent by promotion from Group 'D' employees possessing qualifications prescribed for direct recruits under column 8.</p>	Not applicable.	<p>Departmental Promotion Committee (for Not applicable. considering promotion and confirmation) consisting of :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. General Manager/Manager, Government of India Press —Chairman.</li> <li>2. Deputy Manager (Technical) —Member.</li> <li>3. Assistant Manager (Administration)/ Officer-in-Charge —Member.</li> </ol>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8. Hindi Translator.	Ten (10)* (2003) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Rs. 5000-150-8000.	Not applicable.	Not applicable.	<p>Twenty seven years. (Relaxable for Government servants upto the age of forty years for general candidates and forty five years in the case of candidates belonging to the Schedule Castes and the Schedule Tribes) in accordance with the instructions or orders by the Central Government from time to time.</p> <p><b>Note 1:</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi, Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh. The Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshdweep).</p> <p><b>Note 2:</b> In case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to nominate candidates.</p>	<p>Master's Degree of a recognised University in Hindi/English with English/Hindi as a compulsory/elective subject or as medium of examination at degree level.</p> <p>OR</p> <p>Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi/English with Hindi and English as compulsory/elective subject or either or the two as medium of examination and the other as a compulsory/Elective subject at degree level.</p> <p>OR</p> <p>Master's degree of a recognised university in any subject other than Hindi/English with Hindi/English medium and English/Hindi as a Compulsory elective subject or as medium of examination at degree level.</p> <p>OR</p> <p>Bachelor's degree of a recognised university with Hindi and English as compulsory/elective subject or either of the two as medium of examination and the other as a compulsory elective subject, plus a recognised diploma/certificate course in translation from Hindi to English and vice-versa or two years experience of translation work from Hindi to English and vice-versa in Central/State Government offices including Govt. of India undertakings.</p>

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Two years for direct recruits.	Deputation/absorption, failing which by direct recruitment.	<p><u>Deputation/absorption:</u> Officers of the Central Government holding:</p> <p>(a) (i) analogous posts, or (ii) posts in the scale of pay Rs. 4500-125-7000 or equivalent with three years regular service; or (iii) Posts in the scale of pay Rs. 4000-100-6000 or equivalent with five years regular service in the grade; and (b) possessing educational qualifications laid in column 8 for direct recruits.</p> <p>(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall not exceed fifty six years as on the closing date of receipt of application).</p>	<p>Departmental Promotion Committee for confirmation consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. General Manager/Manager, Government of India Press —Chairman.</li> <li>2. Deputy Manager (Technical) —Member.</li> <li>3. Assistant Manager (Administration)/ Officer-in-Charge —Member.</li> </ol>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9. General Store Keeper.	Twelve(12)* (2003) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Rs. 5000-150-8000.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Not applicable.	By Deputation.	<p><u>Deputation :</u>  Officers of the Central Government:  (a) (i) holding analogous post on regular basis; or  (ii) with three years regular service in post in the pay scale of Rs. 4500-125-7000; and  (iii) with eight years regular service in the pay scale of Rs. 4000-100-6000.  (b) possessing Matriculation or equivalent from a recognised Board or University.</p>	Not applicable.	Not applicable.
			<p><b>Desirable :</b> One year experience in handling store which can be relaxed by the Appointing Authority in deserving cases in case no eligible candidates apply.</p>		
			<p>(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall not exceed fifty six years as on the closing date of receipt of application).</p>		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10. Pharmacist.	Seventeen(17) (2003)	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 4500-125-7000.	Not applicable.	Not applicable.	Twenty seven years. (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in case of general candidates and forty-five years in case of candidates belonging to the Schedule Castes and the Scheduled Tribes) in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time in this regard.	(i) Matriculation or equivalent from a recognised Board or University; and (ii) Registered as a Pharmacist under clause (a) of section 31 of the Pharmacist Act, 1948.
						<p><b>Note 1.</b>—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangji, Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh. The Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshdweep).</p>	
						<p><b>Note 2.</b>—In case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to nominate candidates.</p>	

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Two years.	Direct recruitment.	Not applicable.	Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of : 1. General Manager/Manager, Government of India Press —Chairman. 2. Deputy Manager (Technical) —Member. 3. Assistant Manager (Administration)/ Officer-in-Charge —Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11. Nurse.	Ten (10) (2003)	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 5000-150-8000.	Not applicable.	Not applicable.	Twenty seven years. (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in case of general candidates and forty five years in case of candidates belonging to the Schedule Castes and the Scheduled Tribes) in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time in this regard.	(i) Matriculation or equivalent from a recognised Board or University; (ii) possessing certificate in 'A' Grade course in Nursing or Midwifery from a recognised Institution and registered with any State Nursing Registration Council;
						<p><b>Note 1:</b>—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi, Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh. The Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).</p>	
						<p><b>Note 2:</b>—In case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to nominate candidates.</p>	

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Two years.	Direct recruitment.	Not applicable.	Departmental Promotion Committee (for considering confirmation of direct recruits) consisting of : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. General Manager/Manager, Government of India Press —Chairman.</li> <li>2. Deputy Manager (Technical) —Member.</li> <li>3. Assistant Manager (Administration)/ Officer-in-Charge —Member.</li> </ol>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12. Mail.	Five (5) (2003) *Subject to variation de- pendent on work load.	General Central Service, Group 'D', Non- Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 2550-55- 2660-60-3200.	Not applicable.	Not applicable.	Twenty seven years. (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in case of general can- didates and forty-five years in case of condidates belonging to the Schedule Castes and the Scheduled Tribes) in accordance with the in- structions or orders by the Central Government from time to time in this regard.	1. <u>Desirable</u> : Primary Standard pass from a recognised school.
						<p><u>Note 1</u>:—The crucial date for deter- mining the age limit shall be the clos- ing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi, Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh. The Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Terri- tory of Lakshdweep).</p>	
						<p><u>Note 2</u>:—In case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to nominate candidates.</p>	

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Two years.	Direct recruitment.	Not applicable.	Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of : 1. General Manager/Manager, Government of India Press —Chairman. 2. Deputy Manager (Technical) —Member. 3. Assistant Manager (Administration)/ Officer-in-Charge —Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13. Daftry.	Forty seven (2003) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'D', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 2610-60-3150-65-3540.	Selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable
14. Peon.	Seventy eight (78)* *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'D', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 2550-55-2660-60-3220.	Not applicable.	Not applicable.	Twenty seven years. (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in case of general candidates and forty-five years in case of candidates belonging to the Schedule Castes and the Scheduled Tribes) in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time in this regard.	Middle school pass from a recognised school.

**Note 1:**—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur,

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable	Not applicable	Promotion	<p><b>Promotion:</b> Peon with two year regular service in the grade.</p> <p><b>Note :</b> Where Juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than one year and have successfully completed their probation period, if prescribed.</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. General Manager/Manager, Government of India Press —Chairman.</li> <li>2. Deputy Manager (Technical) —Member.</li> <li>3. Assistant Manager (Administration)/ Officer-in-Charge —Member.</li> </ol>	Not applicable.
Not applicable	Two years for direct recruitment.	Twenty five per cent by absorption. Seventy Five per cent by direct recruitment.	<p><b>Absorption:</b> Farash or Safaiwala or Chowkidar in the pay scale of Rs. 2550-55-2660-60-3200 with two years regular combined service as Farash or Safaiwala Chowkidar and possessing elementary literary ability to read either Hindi or English or a regional language.</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. General Manager/Manager, Government of India Press —Chairman.</li> <li>2. Deputy Manager (Technical) —Member.</li> <li>3. Assistant Manager (Administration)/ Officer-in-Charge —Member.</li> </ol>	Not applicable.



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi, Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh. The Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshdweep).	
						<b>Note 2:</b> —In case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to nominate candidates.	
15. Sanitary Jamadar.	Five (5)* (2003)	General Central Service, Group 'D', Non-gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 2810-60-3150-65-3540.	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
*Subject to variation dependent on work load.							

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Not applicable.	By Promotion.	<p><u>Promotion</u> : Safaiwala with two years regular service in the grade.</p> <p><u>Note</u> : Where Juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than one year and have successfully completed their probation period, if prescribed.</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. General Manager/Manager, Government of India Press —Chairman.</li> <li>2. Deputy Manager (Technical) —Member.</li> <li>3. Assistant Manager (Administration)/ Officer-in-Charge —Member.</li> </ol>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16. Orderly (Nursing).	Five (5) (2003)* *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'D', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 2550-55-2660-60-3220.	Not applicable.	Not applicable.	Twenty seven years. (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in case of general candidates and forty five years in the case of candidates belonging to the Schedule Castes and the Scheduled Tribes) in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time in this regard.	<u>Desirable :</u> (i) Primary pass; (ii) Experience of working in recognised hospital for one year. <u>NOTE :</u> The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government.
						<u>Note 1:</u> —The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi, Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh. The Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshdweep).	
						<u>Note 2:</u> —In case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to nominate candidates.	

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.	Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of : 1. General Manager/Manager, Government of India Press —Chairman. 2. Deputy Manager (Technical) —Member. 3. Assistant Manager (Administration)/ Officer-in-Charge —Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17. Chowkidar.	One hundred thirty seven (137)*	General Central Service, Group 'D', (Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs 2550-55-2660-60-3220.	Not applicable.	Not applicable.	Twenty seven years. (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in case of general candidates and forty five years in case of candidates belonging to the Schedule Castes and the Scheduled Tribes) in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time in this regard.	<u>Desirable:</u> Primary school pass from a recognised school;
	*Subject to variation dependent on work load.					<p><b>Note 1.</b>—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangri, Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh. The Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshdweep).</p> <p><b>Note 2.</b>—In case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to nominate candidates.</p>	

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Two years.	Direct recruitment	Not applicable.	Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of : 1. General Manager/Manager, Government of India Press —Chairman. 2. Deputy Manager (Technical) —Member. 3. Assistant Manager (Administration)/ Officer-in-Charge —Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
18. Farash.	Thirty one(31)* *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'D', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 2550-55-2660-60-3220.	Not applicable.	Not applicable.	Twenty seven years. (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in case of general candidates and forty five years in case of candidates belonging to the Schedule Castes and the Scheduled Tribes) in accordance with the instructions or orders by the Central Government from time to time in this regard.	<b>Desirable:</b> Primary school pass from recognised school.
<b>Note 1:—</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi, Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, The Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshdweep).							
<b>Note 2:—</b> In case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to nominate candidates.							

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment	Not applicable.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of : 1. General Manager/Manager, Government of India Press —Chairman. 2. Deputy Manager (Technical) —Member. 3. Assistant Manager (Administration)/ Officer-in-Charge —Member.	Not applicable.



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
19. Safaiwala	One hundred thirty four(134)* *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'D', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 2550-55-2660-60-3200	Not applicable	Not applicable	Twenty seven years. (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in case of general candidates and forty five years in case of candidates belonging to the Schedule Castes and the Scheduled Tribes) in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time in this regard.	<u>Desirable:</u> Primary School pass from a recognised school.
						<p><u>Note 1:</u>—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi, Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh. The Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshdweep).</p>	
						<p><u>Note 2:</u>—In case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to nominate candidates.</p>	

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable	Two years	By direct recruitment	Not applicable	Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :	Not applicable
				1. General Manager/Manager, Government of India Press —Chairman.	
				2. Deputy Manager (Technical) —Member.	
				3. Assistant Manager (Administration)/ Officer-in-Charge —Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
20. Ward Boy.	Three (3)* (2003)	General Central Service, Group 'D', Non- Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 2550-55- 2660-60-3200.	Not applicable.	Not applicable.	Twenty seven years. (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in case of general candidates and forty five years in case of candidates belonging to the Schedule Castes and the Scheduled Tribes) in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time in this regard.	<u>Desirable:</u> Primary School pass from a recognised school.
						<p><b>Note 1:</b>—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi, Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh. The Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshdweep).</p>	
						<p><b>Note 2:</b>—In case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to nominate candidates.</p>	

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.	Departmental Promotion Committee (for Not applicable. considering confirmation) consisting of : 1. General Manager/Manager, Government of India Press —Chairman. 2. Deputy Manager (Technical) —Member. 3. Assistant Manager (Administration)/ Officer-in-Charge —Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
21. Fireman.	Four (4)* (2003) *Subject to variation de- pendent on work load.	General Central Service, Group 'D', Non- Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 2610-60- 3150-65-3540.	Not applicable.	Not applicable.	Twenty seven years. (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in case of general can- didates and forty five years in case of candidates belonging to the Schedule Castes and the Scheduled Tribes) in accordance with the in- structions or orders issued by the Central Government from time to time in this regard.	<b>Essential:</b> (i) 8th standard pass from a recognised school; and (ii) Two years experience in fire fighting. <b>Note:</b> The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government.
						<b>Note 1:</b> —The crucial date for deter- mining the age limit shall be the clos- ing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi, Sub-Division of, Chamba District of Himachal Pradesh. The Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Terri- tory of Lakshdweep).	
							<b>Note 2:</b> —In case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to nominate candidates.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	Two years for direct recruits.	Absorption, failing which direct recruitment.	<u>Absorption</u> : Group 'D' Central Government employee holding analogous post.	Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of : 1. General Manager/Manager, Government of India Press —Chairman. 2. Deputy Manager (Technical) —Member. 3. Assistant Manager (Administration)/ Officer-in-Charge —Member.	Departmental Promotion Committee (for Not applicable. considering confirmation) consisting of :
<p>JF. No. 22/3/98-A11 H. A. YADAV, Director (Printing)</p>					
<p>Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.</p>					